

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 443] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 1983/कार्तिक 27, 1905
No. 443] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 1983/KARTIKA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1983

सं. 307/83-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 844(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 45 की उपधारा (4) के साथ एठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती है, अपना यह समझाने के लिये कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

भारत सरकार के वित्त संचालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 134/83 सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —
उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 का बोल किया जाएगा ।

[फा. सं. 355, 56-83-सी.शु.]

एन. शशिधरन, अव. सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 1983

No. 307/83 CUSTOMS

G.S.R. 844(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 45 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 134/83-Customs, dated the 13th May, 1983, namely :—

In the said notification, paragraph 2 shall be omitted.

[F. No. 355/56/83-Cus-I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.